द्वितीय रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

को लागू करना

(1.11.2006 से 31.10.2007)

राज्य सूचना आयोग,

हरियाणा।

एस०सी०ओ० नं० 70–71, 114–115, सैक्टर–8–सी, चण्डीगढ़–[illegible]
Website: www.cicharyana.gov.in e-mail: ussichry@[illegible]

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सूचना का अधिकार : कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही की शासन प्रणाली की ओर	1
2.	राज्य सूचना आयोग का गठन	2–4
3.	लोक प्राधिकरण से जानकारी का संग्रह	5–6
4.	आयोग द्वारा शिकायतों/अपीलों के निपटान की स्थिति	7–8
5.	राज्य सूचना आयोग की सिफारिशें	9–11
6.	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट के तहत की गई सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	12
7.	जागरुकता उत्पन्न करने हेतु आयोग का प्रयास	13–14
अनुबंध 1	प्रपत्र	15
अनुबंध 2	लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना	16–37
अनुबंध 3	मुख्य लोक प्राधिकरणों की सूची जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई	38–39
अनुबंध 4	केसों की प्राप्ति, उनके निपटान तथा 1.11.2007 को लम्बित केसों का विवरण	40
अनुबंध 5	राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्ति का विवरण	41
अनुबंध 6	मामलों की सूची जिनमें अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई	42–44
अनुबंध 7	अपीलार्थियों/शिकायतकर्ताओं को दिए गए मुआवज़े का विवरण	45

अध्याय – 1

सूचना का अधिकार : कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही की शासन प्रणाली की ओर

भारत के संविधान के अध्याय–III का अनुच्छेद 19 अपने सभी नागरिकों को प्रत्याभूत करता है कि, अन्य बातों के अलावा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनका मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अक्सर नागरिकों को जानने के अधिकार के पक्ष में निर्णय देता रहा है और सूचना के अधिकार को सदैव संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में स्वाभाविक तौर से मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्य को ब्यान करता है जो इसे और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कानूनी ढांचा भी उपलब्ध करता है। इसके द्वारा जानकारी को विशिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर आपूर्ति करने की सुनिश्चितता की मांग की गई है और साथ में नामित अपीलीय अधिकारियों को अपील प्रस्तुत करना भी प्रावधानित है। केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोगों से इसकी निगरानी के साथ अधिनियम के कार्यान्वयन को शिकायतों की जांच के माध्यम से एवं अपीलों की सुनवाई करके मॉनीटर करने की अपेक्षा की गई है। यह अधिनियम दोषी लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त दंड उपबंधित करने के साथ ही नागरिकों को जानकारी मुहैया करवाने में हुई देरी के लिए क्षति/उत्पीड़न की स्थिति में मुआवजा देने और जानकारी में हुई देरी की वजह से नागरिकों को जो नुकसान उठाना पड़ा, की क्षतिपूर्ति भी कराता है।

अध्याय – II

राज्य सूचना आयोग का गठन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का व्यापक और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, हरियाणा की राज्य सरकार ने राजपत्र में 31 अक्तूबर 2005 को अधिसूचना के द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया। श्री जी. माधवन, आई.ए.एस. (सेवा निवृत) ने पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रुप में पहली नम्बर 2005 को शपथ ली थी। बाद में श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत) ने राज्य सूचना आयुक्त के रुप में 9 मई, 2008 को शपथ ग्रहण की थी। अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार ने 28 नवम्बर, 2005 को हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2005 अधिसूचित किए, जिसमें शुल्क से संबंधी मामले और लागू प्रभार, उनके भुगतान का तरीका और अन्य संबंधित विषय शामिल थे।

आयोग को राज्य सरकार ने आरम्भ में एस0सी0ओ0 70–71, सैक्टर 8–सी, चण्डीगढ़ का भवन कार्यालय की स्थापना के लिए सौंपा। राज्य सूचना आयुक्त के अधिष्ठापन के बाद राज्य सरकार ने आयोग को अतिरिक्त कार्यालय उसी सैक्टर में एस0सी0ओ0 नम्बर 114–115 के रुप में आंवटित किया गया।

अमला और राज्य सूचना आयोग का बजट

राज्य सरकार ने लेखा शीर्ष "2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–नान प्लान" के तहत राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित धनराशि आंवटित की है :–

(रुपए लाखों में)

वर्ष	प्रदत्त पूंजी	
2005–2006	30.00	26.79
2006–2007	140.04	126.00
2007–2008	167.94	

वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के वर्षों के बजट की विभिन्न उपशीर्षों के अधीन बांट निम्नानुसार रही :–

(रुपए लाखों में)

क्रमांक	प्रयोजन	2006.07 (अन्तिम)	2007–08 (मूल)
1.	वेतन	24.69	29.41
2.	मंहगाई भत्ता	07.23	08.53
3.	यात्रा खर्च	00.62	03.50
4.	कार्यालय खर्च	74.00	66.00
5.	रेट रेंट टैक्स	00.00	20.00
6.	मोटर यान	09.85	15.00
7.	चिकित्सा व्यय	00.26	04.10
8.	एल0टी0सी0	02.87	08.00
9.	पी0ओ0एल0	03.30	07.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी	03.18	06.40
	कुल	126.00	167.94

वर्ष 2006–2007 के लिए आबंटित राशि में से 62.76 लाख रुपए की राशि 31 अक्तूबर, 2006 तक खर्च की गई थी जबकि पहली नवम्बर, 2006 से 31 अक्तूबर 2007 के दौरान, उपशीर्ष अनुसार निम्नानुसार वास्तविक खर्चा हुआ:–

(रुपए लाखों में)

क्रमांक	प्रयोजन	1–11–2006 से 31–10–2007 के बीच वास्तविक खर्च
1.	वेतन	14.92
2.	मंहगाई भत्ता	05.76
3.	यात्रा खर्च	00.32
4.	कार्यालय खर्च	44.01
5.	मोटर यान	00.72
6.	चिकित्सा व्यय	00.13
7.	एल0टी0सी0	01.46
8.	पी0ओ0एल0	02.10
9.	सूचना प्रौद्योगिकी	02.01
	कुल	71.43

आयोग की स्थापना के समय, राज्य सरकार ने निम्न अमला वेतनमान सहित स्वीकृत किया

क्रमांक	संख्या और पद का नामकरण	स्वीकृत वेतनमान
1.	एक मुख्य सूचना आयुक्त	30000/– रुपए नियत जमा भत्ते
2.	एक सचिव (संयुक्त सचिव स्तर का)	15100–400–18300
3.	एक वरिष्ठ सचिव सी.आई.सी. के लिए	12000–375–16500+400 विशेष वेतन
4.	एक अवर सचिव	10000–325–13900+400 विशेष वेतन
5.	एक अनुसंधान अधिकारी–सह–सलाहाकार	7450–225–9025–ई.बी.–225–11500
6.	एक अधीक्षक	6500–200–8500–ई.बी.–200–10500+200 विशेष वेतन
7.	एक लेखा अधिकारी	8500–200–8500–ई.बी.–200–10500
8.	एक प्रोग्रामर	6500–200–8500–ई.बी.–200–10500
9.	कानूनी विशेषज्ञ/कानूनी सलाहकार	अनुबंध आधार पर
10.	दो निजी सहायक	5500–175–8300–ई.बी.–175–9000+150 विशेष वेतन
11.	दो सहायक	5450–150–6950–ई.बी.–150–8000+60 विशेष वेतन
12.	एक लेखा सहायक	5450–150–6950–ई.बी.–150–8000+60 विशेष वेतन
12.	एक रीडर	5450–150–6950–ई.बी.–150–8000+60 विशेष वेतन
14.	एक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4000–100–4800–ई.बी.–100–6000+40 विशेष वेतन
15.	एक आशुटंकक	3050–75–3950–ई.बी.80–4590+100 विशेष वेतन
16.	चार लिपिक–कम– कम्पयूटर ऑपरेटर	3050–75–3950–ई.बी.80–4590+40 विशेष वेतन
17.	तीन चालक	4000–100–4800–ई.बी.–100–6000+300 विशेष वेतन
18.	नौ सेवादार	2550–55–2660–ई.बी.–60–3200+30 विशेष वेतन

तत्पश्चात् राज्य सूचना आयुक्त के अधिष्ठापन के समय मई, 2006 में आयोग में निम्नलिखित 8 अतिरिक्त पद, प्रत्येक के साथ वर्णित वेतनमान सहित, सृजित किए :–

क्रमांक	संख्या और पद का नामकरण	स्वीकृत वेतनमान
1.	एक निजी सचिव एस.आई.सी. के लिए	6500–200–8500–ई.बी.–200–10500+200 विशेष वेतन
2.	एक निजी सहायक	5500–175–8300–ई.बी.–175–9000+150 विशेष वेतन
3.	एक रीडर	5450–150–6950–ई.बी.–150–8000+60 विशेष वेतन
4.	एक आशुटंकक	3050–75–3950–ई.बी.80–4590+100 विशेष वेतन
5.	एक लिपिक–कम– कम्पयूटर ऑपरेटर	3050–75–3950–ई.बी.80–4590+40 विशेष वेतन
6.	एक चालक	4000–100–4800–ई.बी.–100–6000+300 विशेष वेतन
7.	एक सेवादार	2550–55–2660–ई.बी.–60–3200+30 विशेष वेतन

31 अक्तूबर, 2007 को, अधीक्षक, कानून अधिकारी तथा लेखा अधिकारी के सिवाय, सभी पद, आयोग में भरे गए थे। श्री अमे सिंह यादव, एच.सी.एस. 21.8.2006 से 14.9.2007 के दौरान आयोग में सचिव के पद पर बने रहे और श्री बी.बी. कौशिक, एच.सी.एस. उनके उत्तराधिकारी थे जो 8.10.2007 को आयोग से जुड़े। नीति के अनुसार, स्वीकृत अमले को हरियाणा सिविल सचिवालय एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों से स्थानांत्रण आधार पर लिया गया। कुछ मामलों में, जहां हरियाणा सिविल सचिवालय और सरकारी विभागों ने अमला उपलब्ध नहीं करवाया, अनुबंध नियुक्तियां मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा की गई।

आयोग की वेब साईट

आयोग द्वारा यह ईमानदारी से प्रयास किया गया है कि सूचना के अधिकार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से और कारगर ढंग से लागू किया जाए ताकि नागरिकों की लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन जानकारी तक पहुँच संभव हो सके। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि नागरिकों को शीघ्र तथा समय पर उनके सूचीबद्ध और दूसरी अपीलों और शिकायतों के निर्णय की जानकारी मिले, आयोग ने नवम्बर, 2006 में अपनी वेबसाईट www.cicharyana.gov.in का प्रमोचन किया। यह नागरिकों को उनके मामलों की स्थिति सहित, अंतिम निर्णय के बारे में जानकारी का उपयोग करने के लिए सक्षम है। यह एक नागरिक को उनके मामले की सुनवाई की तारीख, न्यायपीठ जिसके समक्ष यह केस सूचीबद्ध है, मामले के पक्षधरों की जानकारी तक पहुँच बनाती है। आयोग का यह प्रयास है कि आदेशों को साप्ताहिक आधार पर वेब साइट पर लोड कर दिया जाए।

यह वेबसाइट राज्य सरकार/आयोग द्वारा समय–समय पर जारी संबंधित निर्देशों/परिपत्रों के साथ अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की भी जानकारी देती है। आयोग के सदस्यों के जीवनवृत्त से संबंधित सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य लोक सूचना अधिकारियों/ लोक सहायक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण जिन्हें विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा नामित किया गया है, भी वेब साइट पर उपलब्ध है।

वेब साइट के कार्यकरण में आगे सुधार के प्रयास जारी हैं और अपीलों/शिकायतों तथा आयोग में प्राप्त होने वाली अन्य प्रार्थनाओं का पता लगाने के लिए आयोग के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण आरंभ किया गया है। आयोग नागरिक को उसके मामले की स्थिति के बारे में एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने का इरादा रखता है। इस संबंध में सेंटर फॉर गुड गवरनेन्स, हैदराबाद, से चर्चा आरंभ की गई है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावित वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – III

लोक प्राधिकरण से जानकारी का संग्रह

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 जनादेश देती है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य सूचना आयोग अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि यथोचित सरकार को अग्रेषित करेगा। उसके बाद इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है।

इस रिपोर्ट में प्रत्येक लोक प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी सम्मिलित होना जैसे कि प्राप्त अनुरोध की संख्या और आर.टी.आई. की धारा 8 और 9 के तहत कारणों सहित अनुरोध को अस्वीकार करने की संख्या, राज्य सूचना आयोग द्वारा समीक्षा के लिए प्राप्त अपीलों की संख्या, उनकी प्रकृति एवं उनके परिणाम, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण जो इस अधिनियम के प्रबंधन के संबंध में किसी भी अधिकारी के खिलाफ लिया गया, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित प्रभार की राशि, अधिनियम को भावना तथा आशय से लागू करने के प्रयासों पर लोक प्राधिकरणों द्वारा तैयार तथ्यात्मक रिपोर्ट, अधिनियम के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, दोषनिवृति या इसमें संशोधन या अन्य कानून या आम कानून या अन्य कोई बात जो जानकारी तक पहुँच के अधिकार के संचालन के लिए उपयोगी हो, संबंधी सिफारिशें, यदि कोई हों, अपेक्षित है ।

यह सुनिश्चित करने के आशय से कि अपेक्षित जानकारी विविध मंत्रालयों और विभागों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न लोक प्राधिकरणों से जानकारी एकत्र हो गई है, आयोग द्वारा एक प्रोफार्मा विकसित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि अनुबन्ध –I पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधक निदेशकों के साथ ही मण्डल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को पत्र संबोधित करते हुए उनसे अनुरोध किया था कि वे इस निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना भिजवाएं। इसके बाद तीन स्मरण पत्र भी भेजे गए । आयोग सचिवालय ने अपेक्षित सूचना की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागाध्यक्षों और विभागों के सचिवों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया। उसके उपरान्त विविध लोक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त हो पाई। जिन प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मण्डल के आयुक्तों और उपायुक्तों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हुई उसे वर्णमाला क्रम में अनुबन्ध–II पर रखा गया है। प्रमुख विभागों और लोक प्राधिकारियों, जिन्होंने आयोग के पत्राचार का जवाब नहीं दिया, की एक सूची अनुबन्ध–III पर प्रस्तुत की गई है।

नागरिकों द्वारा लोक प्राधिकारियों से जानकारी तक पहुँच हेतु दिए आवेदनों की स्थिति

1.11.2006 से 31.10.2007 की समयावधि के दौरान, सूचना प्रेषण करने वाले लोक प्राधिकारियों ने कुल 18112 आवेदन प्राप्त किए । एकत्रित आंकडों के अनुसार 300 एवं 44 केसों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा क्रमशः 8 तथा 9 के छूट प्रावधानों के तहत जानकारी की आपूर्ति रोकी गई। इस प्रकार जानकारी तक पहुँच कुल प्राप्त मामलों में से 1.90 प्रतिशत ही नकारी गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि लोक प्राधिकारियों ने सामान्यतः कुल मिलाकर आर.टी.आई. आवेदकों को अधिकांश मामलों में जानकारी प्रदान की है। आवेदकों से कुल 22, 34, 978/– रुपए की राशि निर्धारित आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के रुप में 1.11.2006 से 31.10.2007 की अवधि के दौरान प्राप्त की गई।

अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में लोक प्राधिकरणों और विभागों से प्राप्त किए सुझाव

आयोग के पत्रव्यवहार के जवाब में लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी प्राप्त हुए । उनके महत्वपूर्ण सुझावों में से कुछ इस प्रकार हैं :–

1. आर.टी.आई. आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए, प्रत्येक विभाग में एस.पी.आई.ओ. के अधीन पर्याप्त अमले के साथ, पूरी तरह उपकरणों से सुसज्जित एक अलग सेल, मुख्यालय एवं जिला स्तर पर सृजित करना।
2. समय–समय पर एस.पी.आई.ओज और अधीनस्थ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
3. नामित अधिकारियों के प्रयोग के लिए मैनुअल/दिशानिर्देशों का प्रकाशन।
4. एस.पी.आई.ओ. एक वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होना चाहिए, जो उसे जानकारी प्रदान करने में देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सामर्थ्य रखता हो।
5. अनर्थक जानकारी के लिए प्राप्त अनुरोध को हतोत्साहित करने के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाया जाना।
6. अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालती जानकारी की मांग करने वाले आवेदकों पर दंड का प्रावधान होना चाहिए।

7. ऐसे आवेदनों के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति का प्रावधान, जहां विशाल जानकारी की मांग की गई हो, जिसे मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से या एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय से एकत्र किया जाना आवश्यक हो और जो लोक प्राधिकरण में एक स्थान पर उपलब्ध न हो।

8. तृतीय पक्ष की जानकारी के प्रावधान पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

9. आवेदकों को जानकारी की आवश्यकता का उद्देश्य सूचित करने का प्रावधान जिसके लिए जानकारी की मांग आर.टी. आई. आवेदन में की गई है।

10. बी.पी.एल. आवेदकों को केवल स्वयं के लिए आवश्यक जानकारी लेने की आवश्यकता का प्रावधान।

11. अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के सुनवाई के दौरान अनुपस्थित होने की स्थिति में अपीलों/शिकायतों को खारिज करने का प्रावधान।

12. नामित अथवा डीम्ड राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत कुछ हद तक दंडित करने की शक्तियां प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रदान करना।

13. जुर्माना लोक प्राधिकरण पर इस शर्त के साथ लगाना चाहिए कि वह उसे ऐसे अधिकारी से वसूल पाए जो राज्य लोक सूचना अधिकारी/अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने में देरी करने का उत्तरदायी हो।

अध्याय – 4

आयोग द्वारा षिकायतों/अपीलों के निपटान की स्थिति

रिपोर्टाधीन अवधि यानि 1.11.2006 से 31.10.2007 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (2) के तहत 257 शिकायतें तथा धारा 19 (3) के तहत 901 अपीलें आयोग को प्रस्तुत हुई। वर्ष के अंत तक यानि 31.10.2007 को, 245 शिकायतों तथा 677 अपीलों पर निर्णय लेकर उनसे पक्षधरों को अवगत करवाया गया। सूचीबद्ध कुल 270 मामले यानि 30 शिकायतें तथा 240 अपीलें 1.11.2007 को निपटारे के लिए आयोग के पास लम्बित थे। प्राप्त, निर्णित एवं सूचीबद्ध शिकायतों/अपीलों की स्थिति अनुबन्ध–4 पर प्रस्तुत है। इस अवधि के दौरान, आयोग ने 1624 विविध आवेदनों का निपटान भी आवेदकों को उपयुक्त सलाह देकर किया।

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा सभी शिकायतों एवं अपीलों का निपटारा लिखित टिप्पणी दाखिल करने के लिए यथोचित नोटिस देने के बाद, शिकायताकर्ताओं/अपीलार्थियो और राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/तीसरे पक्ष, सभी को, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, करता है। पार्टियों द्वारा दी गई लिखित एवं मौखिक प्रस्तुतियों का परीक्षण उपरांत निर्णय की घोषणा की जाती है। यदि उचित समझा जाए, तो प्रासंगिक/मूल रिकार्ड की भी जांच की जाती है। संदर्भाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने राज्य लोक सूचना अधिकारियों/डीम्ड राज्य लोक सूचना अधिकारियों को जुर्माना लगाने के लिए 256 कारण बताओ नोटिस जारी किए। आयोग ने ग्यारह राज्य लोक सूचना अधिकारी/डीम्ड राज्य लोक सूचना अधिकारी, जो निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहे और देरी करने के लिए उचित युक्तियुक्त कारण भी नहीं पाया गया, पर दंड लगाया। इन मामलों का विवरण अनुबन्ध–5 पर रखा गया है। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों और डीम्ड राज्य लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई जो समय पर और पूर्ण सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारियों को उपलब्ध करने में विफल रहे । ऐसे सैंतीस मामलों का विवरण अनुबन्ध–6 पर रखा गया है। आयोग ने तेरह नागरिकों को उन्हें जानकारी की आपूर्ति समय पर प्राप्त करने में हुई हानि/उत्पीड़न के लिए सूचना का अधिकार की धारा 19(8)(ख) के तहत उपयुक्त मुआवजा अदा किया। इन मामलों का विवरण जिसमें संदर्भाधीन वर्ष के दौरान मुआवजा दिया गया, अनुबंध–7 पर है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों और अपीलों का विषलेषण

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभिक अवस्था में था, अतः रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आर.टी.आई. आवेदकों से प्राप्त शिकायतों पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा द्वारा उदारता से विचार किया गया क्योंकि अधिकांश नव नामित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की वास्तविक जानकारी का अभाव था। शिकायतों की सुनवाई के समय आयोग ने यह पाया कि संदर्भाधीन अवधि के दौरान आयोग को मुख्यतः जिन कारणों से शिकायतें प्रस्तुत की गई, उनमें से कुछ इस प्रकार थी :–

1. लोक प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आर.टी.आई. आवेदन या आवेदन शुल्क को नकदी में प्राप्त करने से इंकार।

2. राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदक को पूर्ण एवं विशिष्ट जानकारी की आपूर्ति करने में विफलता।

3. लोक प्राधिकरण के नामित अधिकारियों की अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी सुसज्जित करने में अनिच्छा।

4. अपीलार्थियों, शिकायतकर्ताओं और प्रत्यर्थियों को छूट के प्रावधानों की समुचित जानकारी का अभाव।

5. शिकायकर्ता प्रायः अपने अन्यायपूर्ण कृत्य के समाधान की आयोग से अपेक्षा करते हैं।

आयोग ने चिंता के साथ यह अनुभव किया कि विभागों/संगठनों के नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे। उन्होंने या तो स्वतः स्पष्ट आदेश पारित नहीं किए या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, फलस्वरुप लगभग सभी मामलों में, अपीलार्थियों के पास दूसरी अपील के माध्यम से राज्य सूचना आयोग, हरियाणा को सम्पर्क करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का प्रभावी हस्तक्षेप रहा

होता और प्रतिवादी लोक प्राधिकरण का रुख जानकारी की आपूर्ति करने के लिए सकारात्मक होता तो नागरिक आयोग से सम्पर्क किए बिना अपेक्षित जानकारी हासिल कर लेते और पक्षधरों का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता था। आयोग ने अनुभव किया कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करे और उन्हें नागरिकों को आवश्यक राहत प्रदान करनी चाहिए अन्यथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की उपेक्षा करके आयोग से सीधे संपर्क करने की सामान्य प्रवृति से आयोग में काम का बोझ बढ़ेगा। आयोग ने शिकायतों एवं अपीलों के प्रसंस्करण एवं निर्णय के समय निम्नलिखित पहलुओं को विशेषरुप से प्रधानता दी :

(क) कोई भी मामला सार्वजनिक सुनवाई एवं दोनों दलों को आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक उचित अवसर दिए जाने की सुनिश्चितता किए बिना निपटाया नहीं गया। इस प्रक्रिया का यह लाभ था कि यह राज्य लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रुप से एक विशिष्ट तिथि तक जानकारी सुसज्जित करने के लिए बाध्य करता था क्योंकि वह स्वयं या अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के समय आयोग के समक्ष उपस्थित रहता था।

(ख) आयोग ने जहां तक संभव हो सुनिश्चित किया कि मामलों की जानकारी अधिकतम संख्या में सुनवाई के समय पर ही आवेदकों को प्रदान करवा दी जाए । यदि दस्तावेज फोटोकॉपी किए जाने थे तो इन्हें आयोग कार्यालय से करवा कर राज्य लोक सूचना अधिकारियों के सत्यापन के बाद सुनवाई के समय आवेदकों को प्रदान करवाया गया। अगर यह संभव नहीं था, तो जानकारी मुहैया करने हेतु एक विशिष्ट समय सीमा को निर्धारित किया गया। आयोग ने जोर दिया कि पारित आदेश के माध्यम से लोक प्राधिकरण से सूचना की आपूर्ति की अनुपालना रिपोर्ट निरपवाद रूप से प्राप्त की जाये और तब तक कथित मामले को औपचारिक रुप से बंद नहीं किया जाये।

(ग) सार्वजनिक सुनवाई एक व्यवसाय की भांति लेकिन अनौपचारिक माहौल में आयोजित की गई ताकि एक नागरिक को उसका मामला पेश करने में घर जैसा वातावरण अनुभव हो। उन्हें वकील सहित, अन्य लोगों की मदद, यदि उन्होंने ऐसा चाहा, लेने की अनुमति दी गई। मामलों के एक छोटे से प्रतिशत को छोड़कर, आमतौर पर सुनवाई के समापन पर निर्णय की घोषणा की गई थी और लिखित आदेश सुनवाई के कुछ दिनों के भीतर पक्षधरों को संसूचित किए गए। हालांकि आयोग द्वारा शिकायतों/अपीलों के निपटान के लिए अधिनियम में समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई फिर भी हर संभव प्रयास करते हुए अपीलों/शिकायतों का निपटान कम से कम समय के भीतर और नागरिकों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर किये गये।

(घ) अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों का इस्तेमाल चयनात्मक तौर पर जानकारी के सुसज्जन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आयोग ने यह तथ्य ध्यान में रखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लक्ष्य लोक प्राधिकारियों की विचार धारा में मूलभूत परिवर्तन लाना है। आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों को जानकारी के सुसज्जन में पेश आने वाले ऐसी कठिनाईयों, जैसे रिकार्ड रखने के घटिया तरीके, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की कमी जो अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में बाधक हैं, जैसे कारणों को ध्यान में रखा। आयोग ने अनुभव किया कि अधिकारियों को अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है क्योंकि उनमें अधिनियम के प्रावधानों के बारे में उचित अभिमूल्यन की कमी पाई गई। केवल प्रत्येक मामले में दंडात्मक कार्यवाही के सहारे से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और ऐसे मामलों में जहां बिना किसी औचित्य के जानकारी सुसज्जित करने में देरी की गई, जहां अधिनियम के प्रति जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में उदासीनता दिखाई गई, वहां इनका प्रयोग करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यहां दंड अधिरोपित करते समय भी आयोग का दबाव नागरिक को सही और पूरी जानकारी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत पर किया गया है।

(च) पब्लिक सामान्यतः राज्य सूचना आयोग, अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, को शिकायत निवारण मशीनरी के रुप में देखती है जिसके परिणामस्वरुप एक बड़ी संख्या के रुप में आवेदन आरंभ में प्राप्त हुए। आयोग को नागरिकों को सुनवाई के दौरान अधिनियम के अंतर्गत जनादेश के रुप में की गई परिकल्पना को समझाने में काफी समय व्यतीत करना पड़ा। इसके अलावा, मामलों की एक बड़ी संख्या में नागरिक आयोग के हस्तक्षेप मात्र से राज्य लोक सूचना अधिकारियों से जानकारी पर्याप्त सामग्री के साथ प्राप्त करने में सफल हो गए जिसका प्रयोग उन्होंने अन्य प्राधिकरणों जैसे उपभोक्ता न्यायालय, सिविल कोर्ट या उच्च न्यायालय और लोक प्राधिकरण के पास किया जो उनकी शिकायतों का निवारण करने में सार्थक सिद्ध हुई।

अध्याय – 5

राज्य सूचना आयोग की सिफारिशें

भाग–I : राज्य सरकार से संबंधित अनुशंसाएँ

5.1 : अधिनियम के बारे में जागरूकता का सृजन

अधिनियम का परिचालन अभी नवम्बर, 2005 में हुआ है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में राज्य की आम जनता के बीच, विशेष रुप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 राज्य सरकारों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दबाव डालती है। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम के आरंभ का सुझाव दिया था:

i) शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन उसका विकास अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और जनता की समझ को उन्नत करना, विशेष रुप से वंचित समुदाय को सशक्त करने के लिए ताकि वे अधिनियम के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

ii) लोक प्राधिकारियों को निर्देश देना कि वे उपरोक्त पैरा (i) में उल्लेखित कार्यक्रमों का विकास और उसका आयोजन करें और ऐसे कार्यक्रमों पर स्वयं कार्य करना।

iii) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी देने हेतु समय पर और प्रभावी प्रसार को बढ़ावा देना।

iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के साथ ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का गहनता से प्रशिक्षण का आयोजन करवाना।

v) लोक प्राधिकरणों के स्वयं के प्रयोग के लिए अधिनियम की धारा 8 तथा 9 से संबंधित प्रासं[redacted] निर्माण करना।

आयोग ने सराहना के साथ नोट किया कि राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। [redacted] लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव (हिपा) को इस संबंध में नोडल एजेंसी के रुप में शामिल किया गया है। नामित अधिकारियों अर्थात राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा लोक प्राधिकारियों के [redacted] राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम हिपा के साथ ही अन्य संस्थान जैसे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान ने बिजली उपयोगिता विभाग के लिए आयोजित किए हैं। तथापि आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता है। आयोग अनुशंसा करता है कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान को आम जानता को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम विकसित करने की भूमिका सौंपनी चाहिए।

5.2: प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका और नाम धाम सूचक पुस्तिका का प्रकाशन

आयोग अपनी पहली सिफारिश को दोहराता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों के सहायतार्थ उनकी सूचना तक पहुँच के अधिकार का उपयोग करने के लिए एक मार्गदर्शिका अधिकारिक भाषा में संकलित की जानी चाहिए। मार्गदर्शिका जो आसानी से समझने योग्य हो, सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा तैयार की जानी चाहिए तथा आवेदकों को उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की एक पूरी सूची आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करने हेतु आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव ने सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में एक ऐसी मार्गदर्शिका संकलित करके तैयार भी की है। हालांकि, यह मूल रुप से अधिकारियों के लिए है और एक मार्गदर्शिका, सरल रुपेण हिन्दी भाषा में नागरिकों के सहायतार्थ वितरण के लिए संकलित की जानी चाहिए। प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों की यह नाम–धाम सूचक पुस्तिका का समुल्य प्रकाशन जनता के सदस्यों के लिए किया जा सकता है। जिलों के उपायुक्तों को कहा जाना चाहिए कि इन प्रकाशनों को जिला स्तर पर हिन्दी में मुद्रित करवाये और उन्हें जिला स्तर पर सरकारी

अधिकारियों के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए। जबकि एक–दो जिलों ने इस संबंध में कुछ कार्यवाही की भी है लेकिन यह आवश्यक है कि सभी उपायुक्तों को इस संबंध में उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

5.3 : शुल्क के आसान भुगतान और आवेदन को दाखिल करने की सुविधा

सूचना का अधिकार नियमों के प्रावधान के तहत आरंभ में शुल्क या तो नकदी के रुप में जमा किया जा सकता था या ट्रेजरी के माध्यम से। तत्पश्चात् आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर, अधिसूचना 2006 में जारी की गई, जिसमें शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भुगतान की अनुमति दी गई है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट में कोर्ट फीस के माध्यम से शुल्क के भुगतान के बारे में दिए गए सुझाव को अभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। आम जनता के हित को ध्यान में रहते हुए, आयोग अपनी इस सिफारिश को दोहराता है कि कोर्ट टिकटों के माध्यम से शुल्क के भुगतान हेतु अधिसूचित नियमों में आवश्यक संशोधन करके इसकी अनुमति भी दी जानी चाहिए। चूंकि भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान संभव है ऐसी स्थिति में जिला तथा उप मण्डल के डाकघरों को राज्य के सरकारी अधिकारियों से संबंधित सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त करने के लिए राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाने के आयोग के सुझाव पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ नामित डाकघर पहले से ही केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रुप में केन्द्रीय लोक प्राधिकरणों के लिए सूचना का अधिकार आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं उनके लिए राज्य लोक प्राधिकरणों के लिए इस प्रक्रिया को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, आयोग अक्सर एक औपचारिक व्यवस्था के अभाव में भी डाकघरों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करता है। इस व्यवस्था को औपचारिक रुप से अपनाने से ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करना चाहते हैं, को इसका अत्यंत लाभ होगा।

5.4 : राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सौंपी महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए और अधिनियम को समुचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए तैयार किया जाए। आयोग ने सुनवाई के दौरान प्रायः यह अनुभव किया है कि कुछ अधिकारियों को अधिनियम के मूल प्रावधानों के उचित अभिमूल्यन की कमी है और वे जानकारी के लिए प्राप्त आवेदनों का निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पाते। हालांकि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हुए हैं फिर भी विभिन्न विभागों, विशेष कर बड़े संगठनों, जहां नामित राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने हेतु कदम उठाए जाने की जरूरत है। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर कुछ महत्त्वपूर्ण विभागों तथा लोक प्राधिकरणों जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई, बिजली उपयोगिता, शिक्षा, वन, विकास एवं पंचायत आदि विभागों ने अपने अधिकारियों को विशेष एवं विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की है, जो उपयोगी साबित हुई है। तथापि यह सिफारिश की जाती है कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान को इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित करने चाहिए।

5.5 : लोक प्राधिकरणों द्वारा निम्न माध्यमों से दायित्वों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करना

(1) प्रभावी स्वतः प्रकटीकरण :

सूचना का अधिकार धारा 4 (1) (ख) के तहत जनादेश देता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अधिकतम संभव जानकारी अपनी ओर से जनता के लिए संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वतः प्रकट करनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिनियम के उपयोग करने की आवश्यकता कम से कम पड़े। इंटरनेट संचार का सबसे प्रभावी साधन है जिसपर उपलब्ध जानकारी को वेब–साइट पर पोस्ट किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 (1) (ख), विशेष रूप से जनादेशित करती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी को सत्रह श्रेणियों की जानकारी अपनी संबंधित वेब साइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इन श्रेणियों के इलावा, सरकार कुछ अन्य श्रेणियों की जानकारी भी निर्धारित कर सकती है जिसको लोक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। यह भी बल दिया जाना चाहिए कि जानकारी के प्रकाशन के लिए जो उल्लेख ऊपर किया गया वह वैकल्पिक नहीं है। यह एक वैधानिक आवश्यकता है जिसे हर लोक प्राधिकरण पूरा करने के लिए बाध्य है। ध्यान देने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि यह पर्याप्त नहीं है कि उपरोक्त जानकारी एक बार प्रकाशित की जाए बल्कि लोक प्राधिकरण इस तरह की जानकारी को समय–समय पर अपडेट करने के लिए भी बाध्य है। यह उचित है कि जहां तक संभव हो, जैसे ही कोई परिवर्तन स्थान ले, जानकारी को तुरंत आधुनिकतम किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, इंटरनेट पर प्रकाशन के मामले में, लगातार अंतराल पर जानकारी आधुनिकतम करनी चाहिए।

(2) पर्याप्त स्टाफ और जानकारी को तैयार करने के लिए बजट का प्रावधान :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अपनी प्रस्तावाना में एक जानकार नागरिक और सूचना की पारदर्शिता के बारे वार्ता करता है जो एक लोकतांत्रिक नीति की मूलभूत और महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो भारतीय संविधान ने स्थापित किया है। अधिनियम में एक नागरिक द्वारा विशेष रूप से किए गए अनुरोध के आधार पर जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान समाविष्ट हैं। चिंता की बात यह है कि जिला स्तर के अधिकांश लोक प्राधिकरणों के पास अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की उचित बुनियादी सुविधाओं की कमी है जो समय पर जानकारी के प्रचार–प्रसार को कठिन बना देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिक के साथ जानकारी सांझा करने हेतु सफलतापूर्वक एक व्यवहारिक व्यवस्था बना सकता है यदि वहाँ के लोक प्राधिकरणों में, विशेषकर जिला स्तर पर, एक प्रभावी वितरण प्रणाली है। जिला स्तर, कुछ लोक प्राधिकरणों के मामलों मे, जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए उनके पास फोटोस्टेट मशीन, कंपयूटर, टाइप–राइटर आदि बुनियादी ढांचे का अभाव है। चूंकि आकस्मिकता राशि भी सीमित है, बाज़ार से फोटोकॉपी प्राप्त करने का विकल्प भी संभव नहीं है। इस प्रकार हस्तलिखित जानकारी, जो ज्यादातर अस्पष्ट होती है, अभी भी एक बड़ी संख्या में जानकारी चाहने वालों को प्रदान की जा रही है। ये कठिनाई लगातार आम जनता, राज्य लोक सूचना अधिकारियों और हितधारकों द्वारा आयोग के साथ औपचारिक सुनवाई के दौरान परस्पर वार्तालाप के समय सामने लाई जाती रही हैं। इसलिए आयोग, निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहता है :–

क) नामित अधिकारियों हेतु स्टेशनरी, कार्यालय उपकरण जैसे फोटोस्टेट मशीन, कंपयूटर आदि की खरीद हेतु धन का पर्याप्त प्रावधान किया जाए। राज्य सरकार जानकारी चाहने वालों से लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए प्रभार का कुछ हिस्सा जिला अधिकारियों को एक बार के लिए बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु आंबटन करने पर विचार कर सकती है।

ख) राज्य सरकार को एक नीतिस्वरूप, प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आर.टी.आई. से संबंधित कार्यक्रमों जैसे प्रचार, प्रशिक्षण आदि के कार्यान्वयन के लिए बजट का एक निश्चित प्रतिशत चिंहित करना चाहिए। लोक प्राधिकरणों को कहा जाना चाहिए कि इस बजट को अपने जिला अधिकारियों को वितरित करें ताकि वे आर.टी.आई. से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकें।

ग) आर0टी0आई0 सैल एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में लोक प्राधिकरण के जिला अधिकारियों पर नज़र रखने और सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए राज्य स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। कथित सैल को चाहिए कि वह अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में समय–समय पर जिला स्तर के नामित अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करे और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभाग के प्रमुख को उपाय सुझाए।

घ) राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों के साथ–साथ प्रथम अपीलीय अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में उनके प्रदर्शन के तथ्य शामिल किए जाने चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आर.टी.आई. अधिनियम के तहत प्रदर्शन, संबंधित नामित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।

ड) अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की अतिरिक्त जिम्मेदारी वहन करते हैं, उन्हें मानदेय की अदायगी की सिफारिश की थी। हालांकि राज्य सरकार इस सुझाव पर विचार करने के लिए सहमत हुई थी लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है। यह देखा गया है कि अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के व्यापक तौर से इच्छुक नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश विभागों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों में बदलाव किया जा रहा है। इसलिए आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को उचित मानदेय के भुगतान के लिए अपनी पहली सिफारिश को दोहराता है।

5.6 : रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

प्रशासनिक प्रशासन में कार्यकुशलता और प्रभावशीलता काफी हद तक समय पर प्रासंगिक और सटीक जानकारी की आपूर्ति के लिए निर्णय निर्माताओं के सभी स्तर पर प्रबंधन पर निर्भर करती है। आयोग चिंतित है कि रिकार्ड कीपिंग, उसका प्रबंधन, लोक प्राधिकरण के अधिकांश कार्यालयों में पुर्नप्राप्ति प्रणाली असंतोषजनक है। कई मामलों पर जानकारी तक पहुंच से इंकार इस बहाने के साथ किया जाता है कि रिकार्ड अप्रतिकार है या किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है। इसलिए यह जरूरी है कि रिकार्ड को व्यवस्थित करने हेतु प्रबंधन और उसकी पुर्नप्राप्ति प्रणाली के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। धारा 4 (1) (क) के अनुसार सभी लोक प्राधिकारी अधिदिष्ट हैं कि वे अपना सभी रिकार्ड विधिवत सूचीबद्ध, अनुक्रमित तथा उपयुक्त तरीके से कम्प्यूटरीकृत करें जो सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करे ताकि रिकार्ड तक पहुँच सुविधाजनक हो। आयोग सिफारिश करता है कि इन उपबंधों की पालना के लिए सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी जाए कि वे अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन प्रावधानों की पालना करें और एक प्रभावी रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली को अमल में लाया जाए।

अध्याय – 6

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट (नवम्बर 1, 2005 से अक्तुबर 31, 2006) का भाग I तथा II के तहत की गई सिफारिष पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

6.1 : अधिनियम के बारे में जागरूकता की उत्पत्ति

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सूचना व जन संपर्क विभाग, हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर तैयार करेगा।

6.2 : उपयोगकर्ता पुस्तिका का प्रकाषन

राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उपयोग लोगों द्वारा सुविधाजनक करने के लिए एक मार्गदर्शिका हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में, तैयार करने का कार्य हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुडगांव को सौंपा है ।

6.3 : प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों की निर्देषिका

राज्य सरकार ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुडगांव को राज्य लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की एक निर्देशिका हितधारकों के उपयोग हेतु तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं।

6.4 : राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के प्रषिक्षण हेतु कार्यक्रम

राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंतजाम किए हैं। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम को सही मायने में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नामित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

अध्याय – 7

जागरुकता उत्पन्न करने हेतु आयोग का प्रयास

क. मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने फतेहाबाद, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, कुरुक्षेत्र, मेवात और रिवाड़ी जिलों का दौरा किया है जहां उन्होंने जिला अधिकारियों, पंचायत एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों, मीडिया के सदस्यों और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर संबोधित किया। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर आयोजित निम्नलिखित सेमीनार/विचार–गोष्ठियों में भी भाग लिया गया :

12.01.2007	जिला नारनौल – सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन विषय पर जिला अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया।
28.02.2007	जिला गुडगांव – उपायुक्त, गुडगांव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
19.05.2007	शिमला – उत्तरी प्रदेश–II जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा संघ शासित चण्डीगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया – कण्डाघाट, हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
05.07.2007	रोहतक –आल इण्डिया रेडियो पर सूचना का अधिकार पर आम जनता के दूरभाष पर उत्तर देने हेतु कार्यक्रम में भाग लिया।
30.07.2007	पंचकूला – क्षेत्रीय कार्यालय, हिपा, पंचकूला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संबोधित किया।
03.08.2007	पंचकूला – क्षेत्रीय कार्यालय, हिपा, पंचकूला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संबोधित किया।
18.10.2007	गुडगांव –प्रशासक, सम्पदा अधिकारियों तथा कार्यकारी अभियंता, हुडा, गुडगांव द्वारा दायित्व के निष्पादन पर समीक्षा की।

ख. श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा द्वारा पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा हिसार जिला अधिकारियों, पंचायत, वन, बिजली उपयोगिता, मीडिया के सदस्यों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर संबोधित किया। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर आयोजित निम्नलिखित सेमीनार/विचार–गोष्ठियों में भी भाग लिया गया :

दिनांक	सेमीनार/कार्यशाला/बैठक	स्थान
17.11.2006	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर हिपा द्वारा आयोजित वर्कशाप में प्रतिभागियों को सम्बोधित करना।	कॉनफ्रेंस हाल, नया सचिवालय, चण्डीगढ़
17.01.2007	आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 के संदर्भ में प्रलेखन व रिकार्ड के प्रबंधन विषय पर मुख्य वक्ता के रुप में नामित व अन्य अधिकारियों को अतिथि संकाय के रुप में संबोधन।	पंचकूला
25.01.2007	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन पर डी.एच.बी.वी.एन.एल., बिजली उपयोगिता के अधिकारियों को फरीदाबाद में संबोधन।	फरीदाबाद
21.03.2007	एशियन एजुकेशन सोसाइटी, सी.आर.आर.आई.डी–2ए द्वारा आयोजित आर.टी.आई. अधिनियम पर आयोजित सेमीनार में भाग।	चण्डीगढ़

06.04.2007	श्री ए0एन0तिवारी, सूचना आयुक्त के साथ विचार–विमर्श/मुख्य अभियंता ओपरेशन, गुडगांव के साथ दिल्ली में विचार–विमर्श।	दिल्ली
17.04.2007	आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 के संदर्भ में प्रलेखन व रिकार्ड के प्रबंधन विषय पर अतिथि संकाय के रुप में मुख्य वक्ता संबोधन।	पंचकूला
08.06.2007	आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 के संदर्भ में प्रलेखन व रिकार्ड के प्रबंधन विषय पर अतिथि संकाय के रुप में मुख्य वक्ता संबोधन।	पंचकूला
21.06.2007	आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 पर आयोजित कार्यशाला में नामित अधिकारियों तथा वन विभाग के अधिकारियों को अतिथि संकाय के रुप में मुख्य वक्ता संबोधन।	पंचकूला
30.07.2007	आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 पर आयोजित कार्यशाला में नामित अधिकारियों तथा हुडा के अधिकारियों को अतिथि संकाय के रुप में मुख्य वक्ता संबोधन।	पंचकूला
09.08.2007	आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 पर आयोजित कार्यशाला में नामित अधिकारियों तथा हुडा के अधिकारियों को अतिथि संकाय के रुप में मुख्य वक्ता संबोधन।	पंचकूला
06.09.2007	सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम पर निदेशक, हिपा के साथ बैठक।	गुडगांव
10.09.2007	सूचना का अधिकार अधिनियम पर निदेशक, सी.सी.एस.एच.ए.यू., हिसार द्वारा आयोजित सेमीनार में संबोधन।	हिसार
14.09.2007	निदेशक, आई.सी.एस.एस.आर. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर आयोजित सैशन में संबोधन।	चण्डीगढ़
17.10.2007	सी.आई.सी./एस.आई.सी. द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम पर आयोजित कॉफ्रेंस में भाग लेने हेतु।	नई दिल्ली
22.10.2007	आर.टी0आई. अधिनियम, 2005 पर वर्कशाप में पंचायत विभाग के अधिकारियों को अतिथि संकाय के रुप में मुख्य वक्ता संबोधन।	पंचकूला
31.10.2007	वन विभाग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा आयोजना सूचना का अधिकार अधिनियम पर ट्रेनिंग–कम– वर्कशाप पर इंटरऐक्टिव सैशन में मुख्य वक्ता।	पंचकूला

अनुबंध–1

क्रमांक	लोक प्राधिकरण का नाम	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	अधिनियम में निहित व्यवस्थाओं अनुसार (संक्षिप्त कारणों सहित) अस्वीकार प्रार्थना पत्रों की संख्या		राज्य सूचना आयोग में भेजी गई शिकायत/ अपील		सूचना के अधिकार के अधिनियम के उल्लंघन के कारण किसी कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा		प्राप्त शुल्क राशि (रूपयों में)		इस अधिनियम के प्रबंध, भावना व आशय हेतु लोक प्राधिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों की वास्तविक रिपोर्ट	इस अधिनियम के विकास/ उत्थान/नवीनीकरण/सुधार संशोधन अथवा अन्य कानून निर्माण व सामान्य नियम या किसी अन्य बात जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हो और उन पर की गई कार्यवाही संबंधी अगर कोई संस्तुति प्राप्त हुई हो।
	1	2	3		4		5		6		7	8
			क	ख	क	ख	क	ख	क	ख		
			धारा 8 के अंतर्गत	धारा 9 के अंतर्गत	धारा 18 के अंतर्गत	धारा 19 के अंतर्गत	आयोग की संस्तुति पर	दूसरे प्रकार से	आवेदन की फीस	अभिलेखों की फीस		

अनुबंध –II

अवधि 1.11.2006 से 31.10.2007

सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एंव उनके निपटान का रजिस्टर

क्रमांक	लोक प्राधिकरण का नाम	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	अधिनियम में निहित व्यवस्थाओं अनुसार (संक्षिप्त कारणों सहित) अस्वीकार प्रार्थना पत्रों की संख्या		राज्य सूचना आयोग में भेजी गई शिकायत/ अपील		सूचना के अधिकार के अधिनियम के उल्लंघन के कारण किसी कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा		प्राप्त शुल्क राशि (रूपयों में)		इस अधिनियम के प्रबंध, भावना व आशय हेतु लोक प्राधिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों की वास्तविक रिपोर्ट	इस अधिनियम के विकास/ उत्थान/नवीनीकरण/सुधार संशोधन अथवा अन्य कानून निर्माण व सामान्य नियम या किसी अन्य बात जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हो और उन पर की गई कार्यवाही संबंधी अगर कोई संस्तुति प्राप्त हुई हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			क	ख	क	ख	फ	ख	क	ख		
			धारा 8 के अंतर्गत	धारा 9 के अंतर्गत	धारा 18 के अंतर्गत	धारा 19 के अंतर्गत	आयोग की संस्तुति पर	दूसरे प्रकार से	आवेदन की फीस	अभिलेखों की फीस		
प्रशासकीय सचिव												
1	मुख्य मंत्री, सचिवालय	–	–	–			–	–	750	–	इस विभाग में अपीलार्थी द्वारा कोई भी विशेष सूचना नहीं दी गई, इसके अतिरिक्त आवेदन नियम 6(3) के अंतर्गत संबंधित विभागों को स्थानांतरित किये गये है।	–
2	मुख्य सचिव, हरियाणा	231	6	2	2	1	–	–	9925	27570	जो भी आवेदन इस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थे वह इस विभाग से संबंधित नहीं थे इसलिये प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता देते हुऐ संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिए गए	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	चुनाव विभाग	2	–	–	–	–	–	–	100	960	–	–
4	वित्त विभाग	27	–	–	5	2	–	–	1200	6640	–	–
5	स्वास्थ्य विभाग	54	–	–	1	3	–	–	2075	2065	–	–
6	गृह विभाग	113	–	–	1	–	–	–	4730	4676	–	–
7	कानूनी स्मारक और सचिव, कानूनी विधायक	26	–	–	–	–	–	–	950	3079	–	–
8	अल्पसंख्यक सेल (गृह)	2	–	–	–	2	–	–	100	–	–	–
9	मुद्रण एंव लेखन सामग्री	1	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–
10	राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग	27	–	–	–	–	–	–	1300	1600	शीघ्र कार्यवाही की जा रही है	किसी प्रकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई
11	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	4	–	–	–	–	–	–	200	1160	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम एंव नियम से संबंधित सभी आवश्यक सूचना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दी गई है।	–
	कुल योग	**487**	**6**	**2**	**9**	**8**	**0**	**0**	**21380**	**47750**		
						विभागाध्यक्ष						
1	कृषि	66	–	–	–	1	1	–	3120	6580	इस अधिनियम को लागू करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु तैयार पुस्तिका को सूचना प्राद्योगिकी विभाग की वेब साईट पर डाल दी गई है और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित कर दी गई है।	–
2	पशुपालन एंव डेयरी विभाग	83	–	–	–	2	–	–	3990	5610	इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया गया है	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	पुरातत्व एंव संग्राहलय	14	—	—	—	—	—	—	480	—	—	—
4	अभिलेखागार विभाग	6	—	—	—	—	—	—	50	—	इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया गया है	—
5	आयुष विभाग	7	—	—	—	—	—	—	350	280	—	—
6	मुख्य वास्तुकार	30	—	—	—	—	—	—	1110	4239	—	—
7	सी0आई0डी0 (डी0जी0पी0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	नागरिक उड्डयन	25	—	—	3	18	—	—	1850	180	—	—
9	चकबंदी	8	—	—	—	—	—	—	400	—	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान कर दी गई।	—
10	सहकारी समिति	114	—	—	—	—	—	—	5300	3385	—	—
11	पंचायत एंव विकास विभाग, हरियाणा	803	—	—	5	10	—	1	35710	201489	राज्य जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम पद दूरभाष नं0 कार्यालय के सामने साईन बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिये गये। विभाग के कुछ लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारयों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में हिपा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	अर्थ एंव सांख्यिकीय संगठन	21	–	–	–	–	–	–	830	1235	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को जागरूक किया गया है। मुख्यालय व क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को हिदायतें दी गई है कि वह अधिनियम के तहत वांछित आवश्यक सूचनाएं व फार्म नोटिस बोर्ड पर दर्शाए। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वह हरियाणा सरकार की वैब साईट पर भी समय-समय पर सूचना अपलोड करें।	–
13	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	5	–	–	–	–	–	–	–	–	इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है	–
14	रोजगार	30	1	–	3	4	–	–	1300	2153	–	–
15	जांच अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	ई0एस0आई0 स्वास्थ्य सेवाएं	1	–	–	–	–	–	–	100	–	राज्य जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम वैब साईट पर उपलब्ध है। इस अधिनियम को लागू करने के लिये सभ्य सूचना अधिकारियों को कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड लगाने की हिदायत दी गई है।	–
17	आबकारी एंव कराधान विभाग	222	16	14	–	2	–	–	6100	8263	इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	मत्स्य विभाग	19	–	–	1	1	–	–	510	1000	–	–
19	खादय एंव आपूर्ति विभाग	525	1	–	–	–	–	–	42580	40119	–	–
20	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	10	–	–	–	–	–	–	250	370	कर्मचारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत जागरूक करने के लिये सेमिनार और वर्कशोप का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हिप्पा से संबंधित सूचना वेब साइट पर उपलब्ध है।	–
21	हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधीकरण	9	–	–	–	–	–	–	150		इस अधिनियम को लागू करने के लिये प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार के प्रयत्न किये गये।	–
22	स्वास्थ्य सेवाएं (डी0जी0एच0एस0)	565	3	–	16	19	–	–	25150	16870	इस अधिनियम को लागू करने के लिये प्रत्येक प्रयास किये गये और सभी अधिनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित किया गया और इसकी अनुपालना के लिये सचेत किया गया।	कोई सिफारिश/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ किन्तु कार्यालय में इस अधिनियम के लिये अलग से अधिकारी/कर्मचारी और कम्प्यूटर प्रदान किये गये हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निपटान करने के लिये राज्य जन सूचना अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। सूचना 30 दिनों के बजाय 30 कार्य दिवस में प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। जन सूचना अधिकारी को अलग से प्रयाप्त स्टाफ, कम्प्यूटर कम्प्यूटर ऑपरेटर और फोटोस्टेट मशीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं।
23	उच्चतर शिक्षा विभाग	839	–	–	2	7			36925	76820	–	–
24	उद्यान विभाग	27	3	–	–	–	–	–	900	760	–	–
25	सत्कार विभाग	7	–	–	–	–	–	–	100	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यावसायिक शिक्षा	112	2	–	–	–	2	–	6070	31666	इस अधिनियम से संबंधित विभाग की वेब साइट शुरू की गई है जिसमें विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारियों को आर0टी0आई से संबंधित हिप्पा में प्रशिक्षण दिया गया है।	–
27	उद्योग एंव वाणिज्य विभाग	35	–	–	1	2	–	–	1400	9306	इस एक्ट को निष्ठा से लागू करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं	–
28	सूचना एंव जन संपर्क विभाग	22	–	–	–	1	–	–	950	5207	इस एक्ट को निष्ठा से लागू करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं	–
29	संस्थागत वित्त एंव साख नियंत्रण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	सिंचाई विभाग	122	–	–	–	5	2	–	5350	7890	–	–
31	श्रम विभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	भू अभिलेख	9	–	–	–	1	–	–	450	100	–	–
33	लॉटरी विभाग	12	–	–	–	1	–	–	350	1220	प्रार्थी को सूचना प्रदान करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं	–
34	जन शक्ति योजना विभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	खान एंव भूविज्ञान विभाग	21	–	–	–	–	–	–	950	710	इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किये जा रहे हैं	–
36	पंचायती राज (लोक निर्माण कार्य)	49	–	–	–	–	–	–	2100	8850	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	पुलिस विभाग	4553	63	16	28	35	1	–	206850	315014	इस अधिनियम को लागू करने के लिये होर्डिंग एंव पर्चे विशिष्ट स्थानों पर स्थापित कर दिये गये हैं और सामान्य जनता से प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड रखा जा रहा है इस विभाग के सभी जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का जवाब सही समय पर दिया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के नाम नोटिस बोर्ड पर सूचना सैल/कार्यालय कक्षों में प्रदर्शित किये गये हैं।	–
38	प्रमुख संरक्षक वन विभाग, हरियाणा	270	–	2	2	3	–	–	16165	75615	आर0टी0आई0एक्ट 2005 की अधिसूचना की प्रति सभी अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई है कि सभी कर्मचारियों और लोगों को जागरूक करें।	कुछ प्रार्थियों द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाती है जो कि लोक सूचना अधिकारी के पास नहीं होती और एकत्र करनी पडती है इसमें समय लगता है जिससे देर होती है आयोग द्वारा कृपया ऐसे मामले देखे जाने चाहिये।
39	मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग	10	–	–	–	9	5	–	600	100	–	–
40	कारागार विभाग	74	–	–	1	–	–	–	3050	5403	इस अधिनियम को लागू करने के लिये निष्ठा से प्रयास किये जा रहे हैं	–
41	अभियोजन	5	–	–	–	–	–	–	150	120	–	–
42	लोक निमार्ण (बी0 एंड आर0)	238	1	–	1	3	–	–	9585	7345	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	पुनर्वास विभाग	41	–	–	–	–	–	–	2050	2960	–	–
44	अक्षय उर्जा विभाग	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	ग्रामिण विकास विभाग	16	–	–	–	–	–	–	750	100	–	–
46	एस0सी0ई0आर0टी0, गुडगॉव	18	6	–	1	–	–	–	–	–	आर0टी0आई0एक्ट 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रार्थी को निर्धारित समय पर ईमानदारी से सही और संबंधित सूचना प्रदान की जाती है और प्रार्थी की संतुष्टि हेतु प्रयास किये जाते हैं	–
47	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	11	–	–	–	–	2	–	60	75	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	–
48	सूचना प्रौद्योगिकी, सचिवालय	18	–	–	–	–	–	–	700	560	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रयत्न किया गया है।	–
49	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग	193	–	–	6	1	–	–	8650	21210	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रयत्न किया गया है।	–
50	अल्प बचतें	29	–	–	1	–	–	–	750	345	–	–
51	राज्य परिवहन नियंत्रक	40	–	–	1	–	–	–	1950	460	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	परिवहन आयुक्त	400	3	–	6	5	1	–	10840	7015	सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिये मुख्य कार्यालय और लोक प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर प्राप्त हिदायतों अनुसार प्रयास किये जाते हैं।	–
58	खजाना एंव लेखा विभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	शहरी संपदा विभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	शहरी स्थानीय निकाय	57	–	–	–	–	–	–	2900	5350	–	–
61	चौकसी विभाग	15	2	–	2	2	–	–	5345	–	–	–
62	अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	40	–	–	1	1	–	–	1150	3032	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 4 व आशय को लागू करने के लिये हर प्रयत्न किए गए हैं।	–
63	महिला एंव बाल विकास विभाग	129	5	–	5	2	–	–	5550	8030	1 सरकार की हिदायतों अनुसार इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है। 2 सभी जन सूचना अधिकारियों को आरटीआई एक्ट की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना पट लगाने के आदेश दे दिए गए हैं ।	–
	कुल योग	10893	118	37	93	162	14	2	496385	950695		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						बोर्ड और निगम						
1	कृषि विपण बोर्ड	179	–	–	–	6	3	–	11470	15322	–	–
2	कृषि उद्योग निगम समिति	18	–	–	–	–	1	–	900	3360	–	–
3	आयुर्वेदिक एंव युनानी चिकित्सा बोर्ड	14	–	–	–	–	–	–	650	2680	–	–
4	चौधरी घरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	205	4	–	5	3	–	–	8750	24435	विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें डीन/निदेशक/ अधिकरियों द्वारा और राज्य जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा भाग लिया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंर्तगत सरकार द्वारा प्राप्त हिदायतों से भागीदार को अवगत करवा दिया जाता है।	–
5	शिशु कल्याण परिषद	9	–	–	–	–	–	–	380	260	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	–
6	सहकारी अपैक्स बैंक समिति	8	1	–	–	–	–	–	350	400	–	–
7	सहकारी श्रम एंव विकास महासंघ	4	–	–	–	–	–	–	200	470	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	सहकारी आपूर्ति एंव विपण प्रसंग (हैफेड)	52	–	–	2	1	–	–	2850	7720	–	–
9	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिसद	4	–	–	–	–	–	–	200	–	–	–
10	विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	106	–	–	2	3	–	–	4795	1526	इस विभाग द्वारा आवेदकों को उनकी संतुष्टि अनुसार अधिकतम सूचना प्रदान किए जाने के प्रयास किए गए हैं।	–
12	उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार (कान्फैड)	22	1	–	–	–	–	–	280	4750	–	–
13	सहकारी चीनी मिल प्रसंग	20	–	–	–	–	–	–	750	3145	–	–
14	हरियाणा वित्तिय निगम	87	4	–	–	3	–	–	4050	35005	1 आर0टी0आई0 एक्ट की धारा 4 (1) (ख) में उल्लेखित 1 से 17 बिंदुओं पर आधारित एक दस्तावेज प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा चुकी है यह सूचना निगम की वेब साईट www.hfcindia.org पर उपलब्ध है। 2 निगम द्वारा मुख्य कार्यालय में जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी पहले से ही निर्दिष्ट/नियुक्त किये गये हैं। निगम द्वारा शाखा/जिला स्तर पर शाखा प्रबंधक को बतौर	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											सहायक जन सूचना अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। निगम के 10 शाखा कार्यालय हरियाणा और दिल्ली में हैं। 3 निगम के मुख्य कार्यालय में प्रबंध निदेशक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। इस अधिनियम के प्रचार बारे निगम द्वारा परिपत्र दिनांक 30.11.2005 और 1.12.2005 जारी किए गए। सभी शाखा/जिला स्तर पर कार्यरत शाखा प्रबंधक, सहायक जन सूचना अधिकारियों को पहले की हिदायतें दी गई हैं कि वे जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नोटिस बोर्ड पर दर्शायें। उन्हें यह भी हिदायते दी गई कि वे सूचना के अधिकारी अधिनियम के अनुसार मांगी गई सूचना का प्रारूप और आवश्यक फीस सहित पूर्ण विवरण नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाएं। उपरोक्त सूचना निगम की वैब साईट www.hfcindia.org पर भी उपलब्ध है।	
15	हरियाणा वन विकास निगम विभाग	10	1	–	–	–	–	–	50	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–
17	नर्स पंजीकरण परिषद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	विद्युत उत्पादन निगम	21	1	–	8	1	–	–	960	1020	–	–
19	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम	4	–	–	–	–	–	–	270	–	–	–
20	हरियाणा बीज विकास निगम समीति	22	–	–	–	–	–	–	950	3520	–	–
21	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	1780	150	–	3	110	–	–	89000	–	जन सूचना अधिकारी द्वारा इस अधिनियम को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	–
22	आवास बोर्ड हरियाणा	93	–	–	7	2	–	–	4650	8193	1 इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी आवेदन प्राप्त हुए उनका तुरंत ही निपटान कर दिया जाता है। 2 अधिनियम की धारा 4(1)(क)(ख) के तहत हाउसिंग बोर्ड से संबंधित सूचना वेब साईट पर उपलब्ध है।	–
23	एच0पी0जी0सी0एल0	21	1	–	8	2	–	–	960	1020	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	विद्युत विनियामक आयोग, पंचकूला	33	–	–	–	2	–	1	450	302	विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ए0आर0आर0 पर पारित आदेश और इससे संबंधित सभी दस्तावेज विभाग की वैब साईट पर पहले से ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के निर्धारित समय पर प्रदान की जाती है।	–
25	हरियाणा राज्य विकास निगम महासंघ समिति	1	–	–	–	–	–	–	50	60	इस अधिनियम के तहत आवश्यक प्रफोर्मा एंव अन्य सूचना नोटिस बोर्ड और हरियाणा सरकार की वेब साईट पर भी प्रदर्शित कर दी गई है।	–
26	एच0आई0आर0एम0 आई0 कुरूक्षेत्रा	1	–	–	1	1	–	–	50	90	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	–
27	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकारण	1709	2	4	87	155	4	–	91395	47052	अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि पर नेकनियति से प्रदान की जा रही है और इसको लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	राज्य सचूना आयोग के अर्ध सरकारी पत्र 3707/पी0एस0/सी0आई0सी0/07 दिनांक 25.6.2007 के फलस्वरूप 9 जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
28	कला परिषद्	3	–	–	–	–	–	–	50	40640	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	–
29	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड कुरूक्षेत्र	24	–	–	–	–	–	–	1200	2910	–	–

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2	–	–	–	–	–	–	50	25	–	–
31	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	229	–	–	–	4	–	–	10035	20670	–	–
32	मेवात विकास एजेंसी	1	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–
33	लघु सिंचाई और नलकूप निगम	6	–	–	–	–	–	–	300	–	–	–
34	फार्मेसी कौंसिल	2	–	–	2	–	–	–	–	–	प्राथी द्वारा मांगी गई सूचना उसे दी जा रही है।	–
35	पुलिस आवास निगम	2	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–
36	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला	29	–	–	–	–	–	–	8070	–	–	–
37	ग्रामिण विकास निधि प्रशासन बोड (एच0आर0डी0एफ0)	60	–	–	–	–	–	–	2850	14820	–	–
38	श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड	7	–	–	–	–	–	–	350	700	–	–
39	श्री माता शीतला देवी पूजास्थल बोर्ड, गुडगांव	2	–	–	–	–	–	–	–	50	इस विभाग द्वारा आवश्यक प्रारूप नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया है।	–
40	राज्य उपभोक्ता संरक्षण निवारण आयोग	22	–	–	–	–	–	–	1080	2238	–	–
41	राज्य चुनाव आयोग	9	–	–	–	–	–	–	330	1100	अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना समय से पूर्व प्रदान की जा रही है	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा	16	–	–	–	2	–	–	800	810	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है और प्रार्थी को उसकी संतुष्टि अनुसार सूचना प्रदान की जा रही है।	जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन के किया जा रहा है लेकिन सूचना देने में देरी के लिये दण्ड का भुगतान अपनी जेब से करने का वह उत्तरदायी है। यह मानना है कि लोक प्राधिकारी द्वारा पूर्ण जांच करने के उपरांत ही जुर्माने की राशि उस व्यक्ति से वसूल की जाये जिसके द्वारा असल में सूचना प्रदान करने में देरी की गई है।
43	दुग्ध विकास सहकारी प्रसंग समिति	10	–	–	–	–	–	–	330	1000	–	–
44	हरियाणा राज्य आवास महासंघ, पंचकूला	30	–	–	1	–	2	–	1950	1205	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किया गया है।	किसी से कोई भी संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।
45	पर्यटन निगम	7	–	–	–	–	–	–	250	90	प्रार्थी द्वारा दस्तावेज फीस जमा करने पर निर्धारित अवधि में उसे सूचना प्रदान कर दी जाती है।	कुछ आवेदकों द्वारा समय पर दस्तावेज फीस समय पर जमा नहीं की जाती है जिससे समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः इस अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए जिससे प्रार्थी के लिये भी समय सीमा निर्धारित हो।
46	उर्दू अकादमी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	225	2	–	2	12	–	–	8540	11350	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम को लागू करने के लिये बेहतर प्रयास किये जा रहे है।	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	90	–	–	6	–	1	–	4230	3420	1 आर0टी0आई0 के अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी कुछ शक्तियॉं प्रदान की जानी चाहिये। 2 दूसरे कार्यालयों से सूचना एकत्रित करने में बहुत समय लगता है इसलिये यह सुझाव है कि 30 दिन से बढाकर 45 दिन कर दिया जाये।	–
49	भंडारण निगम	28	–	–	–	–	–	–	1070	4538	वेब साइट पर विस्तृत प्रचार और हिप्पा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	–
	कुल योग	**5228**	**167**	**4**	**134**	**307**	**11**	**1**	**265445**	**265896**		
						मण्डल आयुक्त						
1	आयुक्त हिसार मण्डल हिसार	18	2	–	–	–	–	–	700	230	इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निपटान कर दिया जाता है।	–
2	आयुक्त रोहतक मण्डल रोहतक	5	–	–	–	–	–	–	250	420	–	–
	कुल योग	**23**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**	**650**		
						उपायुक्त						
1	उपायुक्त अम्बाला	517	6	–	1	2	–	–	27735	77430	–	–
2	उपायुक्त भिवानी	30	–	–	–	–	–	–	1175	730	–	–
3	उपायुक्त फरीदाबाद	53	–	–	1	–	–	–	2650	1430	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उपायुक्त गुडगांव	168	–	–	–	–	–	–	7750	8360	इस कार्यालय द्वारा अधिनियम की भावना व आशय को लागू करने के लिये हर प्रत्यन किये जा रहे है। जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पद, दूरभाष नं0 इस कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिये गये है। एक लिपिक का पद भी रखा गया है जो राशि प्राप्त करना और लेखा जोखा रखता है। इस कार्यालय से संबंधित सभी सूचना हरियाणा की वेब साईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर सेमिनार और इस कार्यालय के कर्मचारियों का हिप्पा द्वारा आर0टी0आई0 से संबन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भेजा जाता है।	–
5	उपायुक्त हिसार	94	–	–	–	–	–	–	4150	4595	–	–
6	उपायुक्त जींद	32	–	–	–	–	–	–	1600	180	–	–
7	उपायुक्त करनाल	89	–	1	–	–	–	–	4650	4663	सूचना निर्धारित अवधि में प्रदान कर दी जाती है। अधिकतर केसों में मांगी गई सूचना पंचायत रिकार्ड से संबंधित होती हैं। सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा सीधे निर्धारित अवधि में प्रदान कर दी जाती है। इस पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	उपायुक्त कुरूक्षेत्रा	108	—	—	—	—	—	—	5000	3794	सूचना समय पर दी जाती है।	—
9	उपायुक्त महेन्द्रगढ	96	—	—	1	—	—	—	4780	6865	सभी आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।	—
10	उपायुक्त पलवल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	उपायुक्त पानीपत	103	—	—	—	—	—	—	5150	790	—	—
12	उपायुक्त रिवाडी	79	—	—	3	1	—	—	2600	1410	—	—
13	उपायुक्त सिरसा	7	—	—	—	—	—	—	250	850	—	—
14	उपायुक्त सोनीपत	27	—	—	—	—	—	—	700	285	—	—
15	उपायुक्त यमुनानगर	68	—	—	6	4	—	—	3350	2685	—	—
	कुल योग	**1471**	**6**	**1**	**12**	**7**	**0**	**0**	**71540**	**113867**		
जिला एंव सत्र न्यायधीश												
1	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फरीदाबाद	8	1	—	—	—	—	—	350	—	—	—
2	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फतेहाबाद	1	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—
3	जिला एंव सत्र न्यायधीश, गुडगांव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	जिला एंव सत्र न्यायधीश, झज्जर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	जिला एंव सत्र न्यायधीश, जींद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	जिला एंव सत्र न्यायधीश, करनाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कुरूक्षेत्रा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	जिला एंव सत्र न्यायधीश, महेन्द्रगढ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	प्रार्थी द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र सही नहीं था इसलिये उससे संपूर्ण पत्र भेजने को कहा गया परंतु यह अभी तक अपेक्षित है।	–
9	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पंचकूला	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पानीपत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रिवाडी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सिरसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सोनीपत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	जिला एंव सत्र न्यायधीश, यमुनानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	10	1	0	0	0	0	0	380	70		
	कुल योग	18112	300	46	249	484	25	3	[illegible]	[illegible]		

अनुबंध 4

केसों की प्राप्ति, उनके निपटान तथा लम्बित केसों का विवरण।

क्रम संख्या	विवरण	केसों का विवरण	
		धारा 18(2)	धारा 19 (3)
1.	1.11.2005 से 31.10.2006 के दौरान प्राप्त हुए केसों की संख्या	116	80
2.	31.10.2006 तक निपटाए गए केसों की संख्या	98	64
3.	1.11.2006 को लम्बित केसों की संख्या (1–2)	18	16
4.	1.11.2006 से 31.10.2007 के बीच प्राप्त केसों की संख्या	257	901
5.	कुल केस (3 + 4)	275	917
6.	1.11.2006 से 31.3.2007 के बीच निर्णित हुए केसों की संख्या	245	677
7.	1.11.2007 को लम्बित केसों की संख्या (5–6)	30	240

अनुबन्ध 5

राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर 1–11–2006 से 31–10–2007 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अधिरोपित शास्ति का विवरण

केस नम्बर	सूचना आयुक्त का नाम	निर्णय की तिथि	अधिरोपित शास्ति की राशि	दोषी एस.पी.आई.ओ. का विवरण	वर्तमान स्थिति
1053/2006	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	20.12.2006	550/–	जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र	राशि जमा हो चुकी है।
शिकायत नम्बर 35/2007 में नोटिस 30/2007	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	18–5–2007	1800/–	सचिव, नगर पालिका, पिंजौर	राशि जमा हो चुकी है।
अपील नम्बर 1072/2007 में नोटिस 36/2007	सी.आई.सी.	12–6–2007	5000/–	सचिव कार्यालय मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकूला	राशि जमा हो चुकी है।
अपील नम्बर 1071/2007 में नोटिस 34/2007	सी.आई.सी.	12–06–2007	5000/–	डाक्टर नरेन्द्र यादव, एल.ए.ओ., गुडगांव	राशि जमा हो चुकी है।
शिकायत नम्बर 116/2007 में नोटिस 48/2007	सी.आई.सी.	18–7–2007	5000/–	गहा प्रबंधक, हरियाणा परिवहन डिपो, चण्डीगढ़	राशि जमा हो चुकी है।
शिकायत नम्बर 56/2007 में नोटिस 49/ 2007	सी.आई.सी.	25–7–2007	7500/–	श्री ए0के0 गुप्ता, तकनीकी अभियन्ता, उद्योग विभाग, हरियाणा	राशि जमा हो चुकी है।
शिकायत नम्बर 73/2007 में नोटिस 95/2007	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	28–8–2007	7500/–	कार्यकारी अभियंता, डी.एच.बी.वी.एन.एल., सिरसा	राशि जमा हो चुकी है।
शिकायत नम्बर 90/2007 में नोटिस 113/2007	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	30–8–2007	7500/–	एस.पी.आई.ओ.–कम–मण्डल वन अधिकारी, हिसार	राशि जमा हो चुकी है।
अपील नम्बर 1401/2007 में नोटिस 132/2007	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	13–9–2007	5000/–	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।	राशि जमा हो चुकी है।
अपील नम्बर 1343/ 2007 में नोटिस 170/ 2007	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	15–10–2007	2000/–	डा0 एन0के0मुंद्रा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, छारा	राशि जमा हो चुकी है।
अपील नम्बर 1390/2007 में नोटिस 161/2007	एस.आई.सी. (एम.ए.सी.)	16–10–2007	19250/–	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	राशि जमा हो चुकी है।
		कुल	66100/–	11 केसों में	

1	2	3	4	5
1288 / 2007 में 106 / 2007	श्री बाबू गुप्ता बनाम एस.पी. आई.ओ. प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा	6.9.2007	02	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा
1382 / 2007 में 118–119 / 2007	श्री एस0पी0 कान्था बनाम एस. पी.आई.ओ. उप श्रम आयुक्त, फरीदाबाद	12.9.2007	03	श्रम आयुक्त, हरियाणा
1024 / 2007 में 122 / 2007	श्री ओ0पी0 भट्ट बनाम एस. पी.आई.ओ. कार्यालय शिक्षा विभाग	19.9.2007	01	निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
1023 / 2007 में 123 / 2007	श्री ओ0पी0 भट्ट बनाम एस. पी.आई.ओ. कार्यालय शिक्षा विभाग	19.9.2007	01	निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
1394 / 2007 में 155 / 2007	श्री मोहिन्दर सिंह बनाम एस. पी.आई.ओ., हुडा, पंचकूला	11.10.2007	01	प्रशासक, हुडा, पंचकूला
130 / 2007 में 152 / 2007	श्री रामेश्वर दास सैनी बनाम महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा	15.10.2007	01	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा
76 / 2007 में 109 / 2007	श्रीमती राज रानी गुप्ता बनाम हुडा, बहादुरगढ़	16.10.2007	02	संपदा अधिकारी, हुडा, बहादुरगढ़
1240 / 2007 में 110 / 2007	श्रीमती गीरा गुप्ता बनाम हुडा, बहादुरगढ़	16.10.2007	02	संपदा अधिकारी, हुडा, बहादुरगढ़
1403 / 2007 में 131 / 2007	डा0 सुशील कांसल बनाम उच्चतर शिक्षा	16.10.2007	02	उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा
1362 / 2007 में 142–143 / 2007	श्री प्रेम सिंह बनाम उप वन अधिकारी, मोननी	18.10.2007	01	प्रधान मुख्य संरक्षक, वन, हरियाणा
1363 / 2007 में 144–145 / 2007	श्री प्रेम सिंह बनाम उप वन अधिकारी, मोननी	18.10.2007	01	प्रधान मुख्य संरक्षक, वन, हरियाणा
1469 / 2007 में 176 / 2007	श्री जी0एप0 शर्मा बनाम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा	25.10.2007	01	निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा
		कुल	37 केस	

अनुबंध–7

ऐसे मामलों का विवरण जिनमें 1–11–2006 से 31–10–2007 की अवधि के दौरान अपीलार्थियों/शिकायतकर्ताओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(ख) के तहत मुआवज़ा दिया गया

केस नं0	निर्णय की तिथि	मुआवजे की राशि	पक्षों का ब्यौरा	कार्यवाही रिपोर्ट
केस नं0 1072/2007 में 102/2007	12.6.2007	500/–	श्री तुलसी राम बनाम सचिव, कार्यालय मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकूला	अदा हो चुका है।
केस नं0 1016/2007 में 104/2007	26.6.2007	3000/–	श्रीमती पुष्पा अबरोल बनाम आयुक्त एवं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा	अदा हो चुका है।
केस नं0 56/2007 में 103/2007	25.7.2007	1000/–	उद्योग विभाग, हरियाणा	अदा हो चुका है।
केस नं0 1229/2007 में 76/2007	1.8.2007	1500/–	श्री सत नारायण बनाम शिक्षा विभाग, हरियाणा	अदा हो चुका है।
केस नं0 76/2007 में 105/2007	2.8.2007	2000/–	श्रीमती सुनिता श्योकंद बनाम मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकूला	अदा हो चुका है।
केस नं0 1297/2007 में 108/2007	23.8.2007	2000/–	संपदा अधिकारी, हुडा, पंचकूला	अदा हो चुका है।
केस नं0 1430/2007	29.8.2007	500/–	श्री हरि राम गुप्ता बनाम मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकूला	अदा हो चुका है।
केस नं0 127/2007	4.9.2007	1000/–	श्री दीन दयाल सोनी बनाम आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	अदा हो चुका है।
केस नं0 1513/2007	16.10.2007	3000/–	डा0 इन्द्रा सरण बनाम हुडा, गुड़गांव	अदा हो चुका है।
केस नं0 78/2007 में 109/2007	16.10.2007	2000/–	श्रीमती राज रानी गुप्ता बनाम हुडा, बहादुरगढ़	अदा हो चुका है।
केस नं0 87/2007 में 110/2007	16.10.2007	3000/–	श्रीमती भीरा गुप्ता बनाम संपदा अधिकारी, हुड़ा, बहादुरगढ़	अदा हो चुका है।
केस नं0 1422/2007 में 150–151/2007	23.10.2007	5000/–	श्री तिलक राज बनाम एच.ई.आर.सी., पंचकूला	अदा हो चुका है।
केस नं0 87/2007 में 111/2007	25.10.2007 व 5.11.2007	2000/–	श्रीमती चित्रा वालिया बनाम एल.ए.ओ., फरीदाबाद	अदा हो चुका है।
	कुल	26500/–	13 केसों में	

51312—S.I.C.—H.G.P., Chd.